न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 47/2015/अपील

जयराम पुत्र तेजाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी पीपली तन लादी का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 लक्ष्मण } पुत्रगण तेजाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी पीपली
2 इन्द्राज } तन लादी का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
3 उप तहसीलदार पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2014 मु.न. 270/2014 अनुवानी सरकार बनाम जयराम वगै0 द्वारा न्यायालय उपतहसीलदार पाटन

वकील अपीलांट श्री महेश कुमार पटेल

निर्णय **दिनांकः—26.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 495 कुल रकबा 4.20 है0 वाके ग्राम लादी का बास तहसील नीमकाथाना किस्म बजंड मे 0.01 है0 भूमि में पूर्वजों के समय से ही पुराने कदीमी पुख्ता आवासीय मकानात व बाडा बनाकर चार दीवारी का निर्माण कर रखा है। उक्त खसरा नम्बर 495 मे अन्य कई पुख्ता आवासीय मकानात बने हुये है। राजनैतिक विद्वेषतापूर्वक प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध उप तहसीलदार पाटन ने प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल आर एक्ट 1956 की कार्यवाही प्रारम्भ कर उसी दिन दिनांक 12.12.2014 को निर्णय कर निपटारा कर दिया, जब कि उक्त भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के कब्जे में कदीम से रही है। जिसमे प्रार्थी/अपीलार्थी अपने पुर्वजों के समय से ही आवास निवासी करता आ रहा है। उक्त भूमि की किस्म बजड़ सिवायचक है, जो प्रार्थी के पक्ष मे नियमन होने योग्य है। अपीलार्थी पर नोटिस की सम्यक तामिल नही हुयी। नोटिस दिनांक 12.12.2014 को जारी किये गये है, जिस पर दिनांक 17.12.2014 को तामिल प्रार्थी/अपीलार्थी की भाभी पर दर्शायी गयी है। उक्त नोटिस मे तारीख पेशी 18.12.2014 नियत की गयी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.12.2014 को कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी पर नोटिस की सम्यक तामिल भी नही हुयी है। प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतो व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की घोर अवहेलना व भूल की है। अपीलार्थी व रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 का उक्त तथाकथित अतिक्रमित भूमि पर कब्जा पूर्वजों के समय कदीम से है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी व रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 पुख्ता आवासीय मकानात व बाडा बनाकर आवास निवास करते है तथा पशुधन रखकर उपार्जन कर अपना जीवन यापन करते है। इस प्रकार उक्त तथाकथित अतिक्रमित भूमि पर कब्जा कदीम से व शांतिपूर्ण है। यदि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का उचित व सही अवसर अपीलार्थी को दिया जाता है

तो उक्त तथाकथित अतिक्रमित कब्जा विभिन्न परिपत्र (सरकुर्लर) के अनुसार नियमन योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित रहा जो कि एक भयंकर कानूनी भूल माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने की है। पटवारी के बयान वगैराह भी नही हुये। प्रार्थी को हल्का पटवारी का प्रति परीक्षण करने का कोई अवसर भी नही मिला तथाकथित अतिक्रमण की शिकायत के समर्थन मे कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नही ली गयी। उपतहसीलदार पाटन द्वारा मात्र कल्पना कयास के आधार पर ही अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को अतिक्रमी मानकर उक्त आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया। उक्त भूमि बाबत माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश नीमकाथाना के समक्ष जयराम बनाम लक्ष्मण आदि वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 159/14 विचाराधीन है। उक्त दावे मे राज्य सरकार एवं तहसीलदार नीमकाथाना भी पक्षकार है। उक्त दावे के विचाराधिन होने के दौरान उक्त भूमियों बाबत बेदखली का आदेश पारित किया है जो सिविल दावा विचाराधीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित तिथि को अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस को रिकॉर्ड पर लेकर निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम लादी का बास के खसरा नम्बर 495 किस्म बंजड़ में से 0.01 है0 पर इंटों की चार दिवारी व गुमटी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में भी अपीलांट स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि "अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 495 कुल रकबा 4.20 है0 वाके ग्राम लादी का बास तहसील नीमकाथाना किस्म बजंड मे 0.01 है0 भूमि में पूर्वजों के समय से ही पुराने कदीमी पुख्ता आवासीय मकानात व बाडा बनाकर चार दीवारी का निर्माण कर रखा है।" इस प्रकार अपीलांट स्वयं के द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया है। अतिक्रमित भूमि की किस्म बंजड़ है। बंजड़ भूमि राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः बंजड़ भूमि पर अपीलांट द्वारा इंटों की चार दिवारी व गुमटी बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन के द्वारा पारित बेदखली आदेश अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति. जिला कलक्टर, सीकर